उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-07/2022/41/23-3-2022-18ईएस/2021

लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-37153(एसएस)/2018-संजय गोरे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के निर्णय दिनांक 26.11.2019 एवं कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर-1(10) में दी गयी व्यवस्थानुसार शासन की कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/2020/1515/23-3-2020-22(ईएस)/2020, दिनांक 02.11.2020 द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गयी है।

2- श्री संजय गोरे को तदर्थ रूप से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर बने रहने और यथावत् कार्य करते रहने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री संजय गोरे की उक्त प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक इस शर्त के अधीन की जा रही है कि उक्त तदर्थ प्रोन्नति कभी भी समाप्त की जा सकती है तथा तद्नुसार उन्हें उक्त पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस पद से उन्हें प्रोन्नत किया गया है।

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

संख्या-07/2022/41(1)/23-3-2022-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वास्तविक रूप से पद उपलब्ध होने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

4- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।

7- संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in